न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 216 / 2024

प्रार्थी :–

हेमंत देवतवाल पुत्र मदनलाल जाति धोबी निवासी आदर्श चौक ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या –सरकारी पैरोकार

आदेश **दिनांक :–** 4/1/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 1750 रकबा 0.2023 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। जिसके खाता सं. जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार 653 है। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी, खरीदसुदा भूमि है, जिस पर प्रार्थी काबिज है। उक्त भूमि प्रार्थी ने पूर्व में खातेदार बुद्धाराम पुत्र श्री रतनलाल जाति गवारिया निवासी भावी से दिनांक 05.04.2023 को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा के खरीद की थी। जो बैचाननामा का दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय बिलाडा में पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 586 क्रम सं. 202303056101072 पर पंजीबद्धसुदा है। उक्त भूमि खरीद के पश्चात् से ही प्रार्थी उक्त भूमि पर बतौर मालिक की हैसियत से काबिज है तथा प्रार्थी की उक्त खरीदसुदा भूमि की तरमीम ऑनलाईन नक्शे में हो रखी है। प्रार्थी उपरोक्त भूमि पर मौके पर वक्त खरीद से काबिज काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त खसरा की भूमि की ऑनलाईन नक्शे में तरमीम हो रखी है तथा राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में भूमि की तरमीम नहीं की हुई है जिसके कारण मौके पर हमेशा माठ को लेकर विवाद बना रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1750 पर काबिज काश्त है लेकिन हल्का पटवारी द्वारा उक्त खसरा की भूमि की तरमीम ऑनलाईन नक्शे में तो बैचाननामा अनुसार की जा चुकी है, जिस कारण प्रार्थी को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जिसको ऑनलाईन नक्शे अनुसार राजस्व नक्शा लटठा ट्रेस में तरमीम किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। विवादग्रस्त भूमि ग्राम भावी सीरवीबास, तहसील बिलाडा में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत का है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाडा की खसरा नंबर 1750 रकबा 0.2023 हैक्टयर की तरमीम ऑनलाईन नक्शे अनुसार लटठा ट्रेस नक्शा में करने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को फरमाया जावें। अन्य उचित आदेश जो प्रार्थी के पक्ष में हो अता फरमावें।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब मय नजरी नक्शा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी सीरवी बास की जमाबंदी चौसाला संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 653 खसरा नंबर 1750 रकबा 0.2023 हैक्टयर प्रार्थी हेमंत देवतवाल पुत्र मदनलाल जाति धोबी के नाम दर्ज है, जो प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी बैचाननामा की प्रति स्वयं प्रस्तुत करें। ग्राम भावी एस.बी. का खसरा नंबर 1750 रकबा 0.2023 हैक्टयर ऑनलाईन नक्शे में दर्ज है, लेकिन राजस्व लटठा ट्रेस में अंकन नहीं है। पद सं. 5 से 7 का जवाब कानूनी है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में भी खसरा नंबर 1750 को ऑनलाईन नक्शे अनुसार दर्शाया गया है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम भावी सीरवी बास के खसरा नंबर 1750 रकबा 0.2023 हैक्टयर की ऑनलाईन नक्शे अनुसार तरमीम लटठा ट्रेस नक्शा में किये जाने में भूमिधारी की सहमति है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम भावी सीरवी बास तहसील बिलाडा के खसरा सं. 1750 रकबा 0.2023 हैक्टयर प्रार्थी की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है जिनकी तरमीम राजस्व लठ्ठा ट्रेस में अंकन नही है, जबकि ऑनलाईन नक्शा में दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में भी खसरा नंबर 1750 को आनलाईन नक्शे अनुसार दर्शाया गया है। इसलिए उपरोक्त खसरान की भूमि का ऑनलाईन नक्शे के अनुसार तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा अप्रार्थी सं. 1 सरकारी पैरोकार ने भी मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर अपनी सहमति प्रदान की है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम भावी सीरवी बास तहसील बिलाडा के खसरा सं. 1750 रकबा 0.2023 हैक्टयर की तरमीम ऑनलाईन नक्शे के अनुसार दुरूस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 11/11/2024 को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा